राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अवमानना याचिका संख्या :–78/2018

अपील संख्या :–1058/2002

आशा त्रिवेदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्री प्रेमजी पाटीदार, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बांसवाडा, राजस्थान।
2. श्री श्याम सिंह राजपुरोहित, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बिकानेर, राजस्थान।
3. श्री नरेश पाल गंगवाल, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से **:** श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अवमानना याचिका में अपील संख्या 1058/2002 आशा त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य में अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2011 की अनुपालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत की गई है।
2. अधिकरण द्वारा प्रकरण में यह आदेश दिया था कि ''अतः उक्त अपीलों का निस्तारण अपील संख्या 1046/2002 श्रीमती कुमुदनी रावत बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय के आधार पर निस्तारित की जाती है। उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को 10 वर्ष की सेवा नियुक्ति दिनांक से प्रशिक्षित मानते हुए वेतन वृद्धि का लाभ एवं पुनरिक्षित वेतनमान 01.09.1998 में 01.09.1998 को में वेतन स्थिरीकरण किया जावें तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992

की अनुपालना में 9 वर्ष व 18 वर्षीय सेवाएं पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे तथा यदि अपीलार्थीगण को वेतन वृद्धि या स्थिरीकरण अन्य दिनांको से किया गया हो तो उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण को वेतन वृद्धियां स्थिरीकरण एवं चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से दिया जावें। पालना तीन माह में की जावें। अपीलार्थीगण को उपरोक्त लाभ न दिये जाने पर अपीलार्थीगण आदेश की दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के हकादार होंगे। ''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को अधिकरण के आदेश की अनुपालना में वांछित कार्यवाही की जाकर बकाया राशि का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 18.03.2024 द्वारा कर दिया है। जिसकी प्रति भी प्रस्तुत की गई है।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पालना रिपोर्ट एवं भुगतान संबंधी विवरण का अवलोकन किया गया। उक्त से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को वांछित कार्यवाही कर देय राशि का भुगतान हो चुका है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि इस अधिकरण के आदेश की पालना सम्यक रूप से हो चुकी है।
5. अतः अवमानना याचिका में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही समाप्त (Drop) की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य